

कार्यालय (क्रय समिति)
जिला एवं सेशन न्यायालय बारां

नवीन फर्नीचर सामग्री क्रय हेतु बिडिंग डॉक्यूमेंट

(प्रपत्र शुल्क 200 रूपये)

खुली प्रतियोगी बोली निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या :– 01/2026–27

NIB No ..DJB2627A0002.....

UBN No

कार्यालय (क्रय समिति) जिला एवं सेशन न्यायालय बारां

खुली प्रतियोगी बोली सूचना संख्या 01/2026–27

UBN No.–

नवीन फर्नीचर सामग्री, आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

NIB NO.– DJB2627A0002

बारां न्यायक्षेत्र में नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, किशनगंज, बारां के लिए नवीन फर्नीचर सामग्री इत्यादि क्रय किये जाने है। इस हेतु राजस्थान राज्य में स्थित रजिस्टर्ड/अधिकृत फर्मों/थोक सप्लायर्स/डीलर/विनिर्माताओं/एम.एस.एम.ई–युनिटो से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार मोहरबंद निविदाये आमंत्रित की जाती है।

1.	कार्यालय का नाम	कार्यालय (क्रय समिति) जिला एवं सेशन न्यायालय बारां
2.	कार्य	नवीन फर्नीचर सामग्री इत्यादि की आपूर्ति
3.	अनुमानित राशि	3.24 लाख रूपये
4.	बोली दस्तावेज शुल्क	200/–रूपये
5.	बोली प्रतिभूति राशि	6500/– रूपये
6.	बिडिंग डोक्यूमेंट प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली दस्तावेज को निर्धारित शुल्क जमा कराकर जिला एवं सेशन न्यायालय की लेखा शाखा से दिनांक 22.07.2026 सांय 05 बजे तक प्राप्त कर सकता है। बोली दस्तावेज को **http://sppp.rajasthan.gov.in** एवं **https://baran.dcourts.gov.in/** से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
8.	बिडिंग डोक्यूमेंट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली दस्तावेज को दिनांक 23.07.2026 को 12:30 पी.एम. बजे तक जिला न्यायालय की लेखा शाखा में जमा करा सकते हैं।
9.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय	दिनांक 23.07.2026 को 4.30 पी.एम. बजे।
10	बोली खोलने का स्थान	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–01, बारां।

1. बोली दस्तावेज को जिला एवं सेशन न्यायालय की लेखा शाखा से निर्धारित बोली दस्तावेज शुल्क जमा कर दिनांक 22.07.2026 सांय 5 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। अथवा बोली दस्तावेज को http://sppp.rajasthan.gov.in या https://baran.dcourts.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड कर प्रस्तुत किये गये बोली दस्तावेज के साथ बोली दस्तावेज शुल्क राशि रू. 200/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट (District and Session Court Baran के पक्ष में देय) संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. बोलीदाताओं को अपना प्रस्ताव बोली सूचना में दिए गए निदेर्शों के अनुसार समुचित रूप से मुहर. बंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है। निविदा द्विपदीय लिफाफा प्रक्रिया में होगी। तकनीकी लिफाफा में निविदा शर्ते, बोली दस्तावेज शुल्क की रसीद/डी0डी0 (Non Refundable) का डी0डी0/बैंकर्स चैक (District and session Judge Baran के नाम), बोली प्रतिभूति राशि 6500/– रूपये डी0डी0/बैंकर्स चैक (District and session Judge Baran के नाम), तथा अन्य दस्तावेज रखे जावेगे। द्वितीय लिफाफा वित्तिय बिड का होगा जिसमें वित्तिय प्रपत्र ही रखा जावेगा। दोनो लिफाफे एक बडे लिफाफे में रखे जावेगें। लिफाफे पर नवीन फर्नीचर सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा लिखा जाना होगा।
3. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी. नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा समय–समय पर जारी विभागीय दिशा निर्देश के समस्त सम्यक् प्रावधान इस बोली आमंत्रण पर लागू होगे। इस डॉक्यूमेंट व उक्त अधिनियम/नियम के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेगें।

अध्यक्ष क्रय समिति,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम–01, बारां (राज0)

(2) 4
47

कार्यालय (क्रय समिति) जिला एवं सेशन न्यायालय बारां

तकनीकी बोली प्रपत्र

1 बोली संख्या : बोली सूचना संख्या – 01/2026–27

2 मद जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है :– **नवीन फर्नीचर सामग्री इत्यादि की आपूर्ति**

3 बोली की अनुमानित लागत – 3.24 लाख

4 बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म/बोली दाता का नाम व डाक का पूरा पता

.....

.....

.....दूरभाष नम्बरमोबाईल नम्बर

.....

5 बोली दस्तावेज शुल्क राशि रूपये 200/– का विवरण रसीद नं.....दिनांक..... दस्तावेज पोर्टल से डाउनलोड करने की स्थिति में डी.डी/बैकर्स चैक संख्यादिनांक बैंक का नाम एवं बोली प्रतिभूति राशि रूपये 6500/– का विवरण डी.डी/बैकर्स चैक संख्या दिनांक बैंक का नाम

6 बोली दाता/फर्म का जी.एस.टी. नम्बर

7 फर्म/बोली दाता का पेन नम्बर

8 बोली दाता/फर्म की ई–मेल आई.डी.

9 बैंक खाता संख्याIFSC कोड

10 फर्नीचर सामग्री आपूर्ति के लिए प्रदाय दरें वित्तीय बोली में अंकित की गई है।

11 फर्नीचर सामग्री आपूर्ति की प्रदाय दरें समस्त करों सहित दर्शाई गई है।

12 निम्न दस्तावेज संलग्न है –

12.1 बोली शुल्क की रसीद की प्रति अथवा मूल डीडी/बै. कर्स चैक ।

12.2 बोली प्रतिभूति राशि रूपये 6500/– मूल डीडी/ब. कर्स चैक।

12.3 फर्म की जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वंय प्रमाणित की छाया प्रति।

12.4 माह मार्च 2025 तक के जी. एस. टी. क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की प्रति या 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कर बकाया नही होने का शपथ–पत्र

12.5 आयकर पेन नम्बर की प्रति।

12.6 यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष सहित दस्तावेजो की अभिप्रमाणित प्रति।

12.7 यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टरनशिप डीड) की अभिप्रमाणित प्रति।

12.8 फर्म का अनुभव प्रमाण–पत्र।

12.9 फर्म के लेटरहैड पर प्रपत्र एस. आर. 11 में अधिकृत बोलीदाता होने का प्रमाण–पत्र।

12.10 फर्म के लेटरहैड पर फर्म को ब्लेकलिस्टेड डिबार नहीं किये जाने का प्रमाण–पत्र।

12.11 समस्त बोली दस्तावेज, प्रपत्र एवं शर्तें मय हस्ताक्षरित।

12.12 धरोहर राशि जमा का प्रमाण अथवा मूल डीडी/बैकर्स चैक ।

12.13 फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वंय प्रमाणित प्रति

12.14 सामग्री का स्पेसिफिकेशन/विवरण Annexure-H पर अंकित प्रारूप में ।

13 बोली में वर्णित/अंकित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। उक्त शर्त्तें को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

दिनांक :–

बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय (क्रय समिति) जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां

तकनीकी निविदा के मुहरबन्द लिफाफे में रखे जाने वाले दस्तावेजों का विवरण फर्म की जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वंय प्रमाणित की छाया प्रति।

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न है अथवा नही	पृष्ठ संख्या
1	हस्ताक्षरित मूल निविदा प्रपत्र मय पृ.सं.		
2	बोली दस्तावेज शुल्क जमा की रसीद की प्रति / डी.डी. / बैकर्स चैक		
3	बोली प्रतिभूति शुल्क डी.डी. / बैकर्स चैक		
4	फर्म की जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वंय प्रमाणित की छाया प्रति।		
5	माह मार्च 2025 तक के जी. एस. टी. क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की प्रति या 50 / – रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कर बकाया नही होने का शपथ पत्र		
6	आयकर स्थायी खाता संख्या (पेन नं.) कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।		
7	यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष सहित दस्तावेजो की अभिप्रमाणित प्रति।		
8	फर्म का अनुभव प्रमाण–पत्र		
9	यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टरनशिप डीड) की अभिप्रमाणित प्रति।		
10	फर्म के लेटरहैड पर स्वंय प्रमाणित प्रपत्र एस. आर. 11 में अधिकृत बोलीदाता होने का प्रमाण–पत्र।		
11	फर्म के लेटरहैड पर स्वंय प्रमाणित फर्म को ब्लेकलिस्टेड डिबार नहीं किये जाने का प्रमाण–पत्र।		
12	धरोहर राशि मूल डीडी / बैकर्स चैक		
13	सामग्री का स्पेसिफिकेशन / विवरण Annexure-H पर अंकित प्रारूप में		

तकनीकी बिड के सभी कॉलम की पूर्ति करना आवश्यक है जिसके अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी। **सफल तकनीकी बिड की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।**

बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील

पात्रता की कसौटी

बोलीदाताओ द्वारा भाग लेने के लिए मुख्य रूप से निम्नानुसार पूर्व योग्याताएं (Pre-Qualification) अपेक्षित है :–

क्र. सं.	बुनियादी अर्हता	विशिष्ट अर्हता	वांछित दस्तावेज (फोटो प्रति)	पृष्ठ संख्या
1	वैधानिक अस्तित्व (Legal Entity)	अधिकृत फर्म के रूप में पंजीकृत है।	1. राजस्थान राजपत्र विशेषांक (Financial Department) अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की पूर्ण पालना करते हुये **पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।** 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधोगो के विकास अधिनियम के अनुसार इन्टरप्रन्योर के मेमोरेण्डम II 2006 में उल्लेखित उधोग मेमोरेन्डम II प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।	
2	जी एस टी पंजीयन एवं पेन कार्ड	निविदादाता का **जीएसटी पंजीयन, पैन कार्ड** होना अनिवार्य है।	जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड की फोटो प्रति	
3	प्रमाण पत्र	निविदादाता युनिट द्वारा नवीन फर्निचर की आपूर्ति के प्रचलित नवीनतम **पर्यावरण मापदंडो एवं शर्तो** के साथ–साथ **केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ बोर्ड के नियमो एवं विनियमों** की पुष्टि।	फर्म के लेटरहैड पर स्वंय प्रमाणित प्रमाण पत्र	
4	ब्लेक लिस्टेड नही होना	निविदादाता यूनिट इस निविदा में भाग लेने से **पूर्व ब्लेक लिस्टेड/ डीबार(Debarred)** घोषित नही हो।	फर्म के लेटरहैड पर स्वंय प्रमाणित प्रमाण पत्र	
5	मैक एण्ड मॉडल	निविदादाता यूनिट द्वारा स्पेशिफिकेशन में कोई बदलाव नही किया जावेगा। यूनिट को वही नवीन फर्निचर सामग्री आपूर्ति करनी होगी, जो निविदा कय समीति द्व ारा स्वीकृत की गई होगी	निर्धारित विशिष्टताओं से "**कोई विचलन नही" का स्वयं प्रमाणित लेटरहैड पर प्रमाण पत्र**	

कार्यालय (क्रय समिति) जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां (राज0)

कार्य का नाम :– नवीन फर्नीचर सामग्री इत्यादि की आपूर्ति

बोली की सामान्य शर्ते

नोट :– बोलीदाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए। इन शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा। इस निविदा के क्रम में किए जाने वाले क्रय पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारर्दिशता नियम 2013 के प्रावधान प्रभावी होगें।

1. बोली उचित रूप से पृथक–पृथक दो मुहरबन्द लिफाफे मे यथा– तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के रूप में तैयार की जाकर, दोनो लिफाफें को तीसरे मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा। लिफाफों पर पृथक–पृथक स्पष्ट रूप से क्रमशः "**नवीन फर्नीचर सामग्री इत्यादि हेतु तकनीकी बोली**" तथा "**नवीन फर्नीचर सामग्री इत्यादि हेतु वित्तीय बोली**" लिखा जावें एवं निविदा को निर्धारित तिथि एवं समय तक इस कार्यालय की **लेखा शाखा** में जमा कराना है। सशर्त एवं विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
2. तकनीकी बोली के मुहरबन्द लिफाफे में अंकित दस्तावेज तथा निविदा के निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न सामान्य शर्तो के प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर अंकित किये जाकर संलग्न करने है। तकनीकी बोली के लिफाफे में वित्तीय बोली नहीं रखी जावेगी। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोली के लिफाफे में वित्तीय बोली सम्मिलित होगी तो फर्म को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
3. वित्तीय बोली के मुहरबन्द लिफाफे में केवल निर्धारित वित्तीय बोली प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित दरें भरकर रखा जाना है।
4. सर्व प्रथम तकनीकी बोली खोली जावेगी तथा तकनीकी रूप से योग्य फर्मों की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
5. निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08.07.2026 से 22.07.2026 तक कार्यालय समय में 200/– रूपये नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। अथवा बोली प्रपत्र एवं शर्ते राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in अथवा जिला न्यायालय बारां की आधिकारिक वेबसाईट https://baran.dcourts.gov.in/ से डाउनलोड किये जा सकते है। डाउनलोड कर प्रस्तुत किये गये बोली दस्तावेज के साथ बोली दस्तावेज शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा बोली प्रतिभूति शुल्क (DISTRICT AND SESSION COURT, BARAN के पक्ष में देय) संलग्न करना आवश्यक होगा। बोली दस्तावेज शुल्क के अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली दस्तावेज को दिनांक 23.07.2026 को 12:30 पी.एम. बजे तक जिला एवं सेशन न्यायालय की लेखा शाखा में जमा करा सकते हैं।
7. उपरोक्त निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात विलम्ब से प्राप्त बोली दस्तावेज पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. बोली दस्तावेज शुल्क किसी भी स्थिति मे लौटाया नही जायेगा।
9. बोली की वैधता RTTP Rules के नियम (48) के अनुसार 90 दिवस तक विधिमान्य होगी।
10. प्राप्त तकनीकी बोली, बोली सूचना मे वर्णित दिनांक, समय व निर्धारित स्थान पर क्रय समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
11. निविदा में वर्णित प्रत्येक आईटम की एकल दरें ही मान्य होंगी तथा एक से अधिक दरे होने पर सम्बंधित आईटम की न्यूनतम दरें स्वीकार्य होंगी।

12 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जीएसटी एवं अन्य समस्त कर एवं समस्त प्रकार के प्रभार (इन्स्टॉलेशन/फिक्सिंग) सम्मिलित होंगे। बोली में प्रस्तुत दरों के अलावा अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

13 बोली प्रपत्र स्याही से या टंकन से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

14 दरें वित्तीय बोली प्रपत्र में नियत स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई काट–छॉट एवं उपरी लेखन नही होना चाहिए। यदि कोई शुद्वियां करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

15 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंको एवं शब्दों में वर्णित दरों में अन्तर नही होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।

16 बोली प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

17 समिति के द्वारा चाहे जाने पर तकनीकी बिड खोलने के पश्चात् सामग्री का नमूना निरीक्षण के लिए समिति को उपलब्ध कराना होगा।

18 तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर क्रम संख्या अंकित करनी होगी।

19 अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली गयी हैं। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

20 बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

21 विशेष विवरण स्पेसीफिकेशन्स :–

(अ) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं बोली में निर्धारित तकनीकी स्पेसीफिकेशन एवं प्रचलित ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।

(ब) क्रेता अधिकारी का इस सम्बंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप हैं, किया गया निर्णय बोलीदाताओ के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

(स) वारंटी एवं गारंटी का खंड–बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हे अनुमोदित कर दिया गया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (ताकि उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से संबन्धित समस्त उपबन्ध लागू होगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया हैं, बदल देगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमे दी गयी शर्तो के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमे दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

22 सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉ पर

सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

23 परीक्षण प्रभार : परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगें।

24 रद्द करना (Rejection) :–

24.1 निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नही की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

24.2 तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओ को बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

25 रद्द की गई वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 3 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ताकि उसे बोलीदाता की जोखिम एवं उसके मद्दे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।

26 बोलीदाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहनकी सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि ,क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

27 प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता हैं।

28 बोलीदाता को उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

29 सुपुर्दगी अवधि : बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से आदेशानुसार आवश्यकता होने पर अविलम्ब अपेक्षित सामग्री/व्यवस्था/कार्य की आपूर्ति करनी होगी।

29.1 मात्रा की सीमा–आदेश फिर से देना : यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं, तो बोलीदाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी बोली में दी गई शर्तो पर दिए जा सकेगें, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में (बोली सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होगे यदि बोलीदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जाएगी। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही बोलीदत्त वस्तुओं की खरीद नही करता हैं या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

30 करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit)

(A)– सफल बोलीदाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराकर निर्धारित शुल्क के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में करार पत्र निष्पादित करना होगा।

(B)– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(C)– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि District and Session Court Baran के पक्ष में

राष्ट्रीयकृत बैंक की बैक गारंटी, शिडयूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जा सकती हैः–

(D)– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आपूर्ति आदेश राशि की 5 प्रतिशत होगी। तथापि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा आर.टी.पी.पी. रूल्स में निर्धारित प्रावधान अनुसार लघु उद्योग इकाईयों के द्वारा मूल पंजीयन प्रति या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करने पर उन सामानों के लिए, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, बोली प्रतिभूति (ईएमडी) राशि अनुमानित मूल्य का 0.5 प्रतिशत अथवा 1 प्रतिशत एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (एसडी) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत यथासमय प्रभावी ली जावेगी। तथा उपरोक्त से भिन्न फर्मो के लिए बोली प्रतिभूति (ईएमडी) राशि अनुमानित मूल्य का 2 प्रतिशत एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (एसडी) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 5 प्रतिशत होगी।

(E)– केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगे।

(F)– बोली कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा।

1.1 जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

1.2 जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढग से करने में असफल रहा हों।

1.3 कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां का निर्णय अन्तिम होगा।

31 दरें एफ.ओ.आर. जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां हेतु होगी एवं इस हेतु परिवहन/मजदूरी हेतु पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

32 भुगतान :–

32.1 सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

32.2 उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगें।

32.3 किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की राशि काटी जावेगी।

33 परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) : परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा हैं :–

33.1 विहित सुपुर्दगी अवधि को एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

33.2 एक चौथाई अधिक से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत।

33.3 आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।

33.4 विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

33.5 विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

33.6 परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

33.7 यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसके द्वारा प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

33.8 यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

34 **<u>वसूलियां :</u>** परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (लिकवीडेटेड डेमेज्स) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध बोली कार्य संपादन प्रतिभूति से की जाऐगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

35 यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता हैं जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा।

36 क्रय समिति किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही हैं, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओ कि लिए बोलीदाता ने बोली दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगी तथा न्यूनतम दर को स्वीकार कराना बाध्यकारी नहीं होगा।

37 बोलीदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक हैं।

38 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 का ज्ञान एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के नियम/शर्तो एवं बोली प्रपत्र में भिन्नता होने पर आरटीपीपी नियम एवं शर्ते मान्य होगे।

39 करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter Foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

40 उपरोक्त सामान की सप्लाई कार्यादेश में अंकित अवधि में ही आपूर्ति करना अनिवार्य है। अन्यथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।

41 वित्तीय बोली में दी गई दर के अलावा अन्य कोई प्रभार देय नही होगा।

42 कार्य आदेश सूची अनुसार सामग्री आपूर्ति/व्यवस्था उपलब्ध करवानी होगी।

43 सामग्री आपूर्ति/व्यवस्था का कार्य समाप्ति पर बिल दो प्रतियो में प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

44 बोली को पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति जिला न्यायालय, बारां के पास सुरक्षित होंगें और उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

45 निम्न दरों वाली बोली के स्थान पर अन्य बोली भी स्वीकृत की जा सकेगी। आदेश देने पर निर्धारित अवधि मे व्यवस्था नहीं कराये जाने पर धरोहर राशि जब्त करली जावेगी तथा अन्य व्यवस्था किये जाने पर हुई हानि की राशि बोलीदाता से वसूल की जायेगी।

46 वित्तीय बोली खोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नेगोसिएशन किया जा सकता है। बातचीत (नेगोशिएशन) बोली लगाने वाले के द्वारा किये गये मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी। यदि बोली लगाने वाला मूल रूप से कोट की गयी दरों में बढोतरी करने का विनिश्चय करता है या कोई नवीन निबंधन या शर्तें अधिरोपित करता है तो बोली मूल्यांकन समिति के पास मूल प्रस्ताव पर विचार करने का विकल्प होगा।

47 न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों से दरें असंतोषजनक प्राप्त होने की दशा में, बोली मूल्यांकन समिति न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को एक लिखित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकेगी और यदि यह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो समिति बोली को अस्वीकार करने और बोलियां पुनः

आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है या वही प्रति–प्रस्ताव दूसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को पहले और तत्पश्चात् तीसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को और इसी प्रकार उनकी प्रारंभिक स्थिति के क्रम में देने और संकर्म/प्रदाय आदेश उस बोली लगाने वालों को अधिनिर्णित किया जा सकेगा जो प्रतिप्रस्ताव स्वीकार करता है।

48 बोलीदाता को सामग्री की आपूर्ति इस कार्यालय के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर बारां अथवा वांछित आपूर्ति स्थान अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, किशनगंज पर पंहुचाने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।

49 आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के साथ गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेज फर्म के मोहर/सील मय हस्ताक्षर, आपूर्ति के समय देने होगें।

50 किसी भी सम्भावित दुर्घटना होने पर यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पडता है, तो बोलीदाता उस क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

51 वस्तु एवं सेवाकर तथा समस्त प्रकार की वैधानिक देनदारियों के भुगतान की समस्त जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।

52 सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

53 फर्म का जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। बोली के साथ माल एवं सेवाकर रजिस्ट्रेशन (GST) प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी PAN की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

54 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो बारां न्यायिक क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी।

55 उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

56 राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–64 में प्रावधित प्रकियानुसार अंक गणितीय सुधार किया जा सकेगा।

57 आरटीपीपी नियम 51 (2) के अनुसार बोली प्राप्त करने या खोलने की तिथि को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने अथवा अंतिम तारीख कार्यदिवस नही होने की स्थिति मे बोली अगले कार्यदिवस पर प्राप्त या खोली जावेगी।

58 किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायक्षेत्र बारां शहर होगा।

अध्यक्ष

क्रय समिति,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–01, बारां
जिला बारां, राज.

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE (To be filled by the Bidder)

To,
The Chairman,
Purchase Committee,
District & Session Court, Baran

Sir,

In response to the ref. NIB no……..…. ……..Dated……..…… Purchase of Furniture items, as an owner/Partner/Director/Auth. Sign of …….. I we hereby declare that presently our Company/Firm ……..……... at the time of bidding :-

1 Possesses the necessary professional, technical, financial and managerial resources and commence required by the bidding document issued by the procuring Entity.
2 Having fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified into Bidding document.
3 Is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/Central Government/PSU.UI.
4 Does not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during last three years.
5 Does not have any debarment by any other procuring Entity.
6 Is not insolvent in receivership, bankrupt or being wood up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
7 Does not have, and our directors and officers not have convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements of misrepresentative as to the qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to department proceeding.
8 Does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition.
9 Will comply with the code or integrity as specified in the bidding document.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules there to prescribed by Govt., My/Our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

CERTIFICATE OF CONOFORMITY/NO DEVIATION (TO BE FILLED BY THE BIDDER)

To,
The Chairman,
Purchase committee,
District & Session Court, Baran

NIB: ---------- Date:----------

Certificate

This is to certify that, the specification of Furniture etc. items which/we have mentioned in the Technical bid, and which it we shall supply if I/We am /are awarded with me work, are in conformity with the minimum specification of the Tender/bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specification.
Also, I/We have thoroughly read the tender/bidding document and by signing this certificate. We hereby submit our token of acceptance to all tender terms & conditions without any deviations.
I/We also certify that the price I/We have quoted is inclusive of all cost factors involved in the net-to-end implementation and executing of the project, to meet the desired standards set out in the Tender/bidding document.
Thanking You

Name of the Bidder :

Authorized signatory :

Seal of the Organization :

Place :

Date :



BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE (To be filled by the Bidder)

To,
The Chairman,
Purchase Committee,
District & Session Court, Baran

Sir,

If I/We ……..….. (Name/Designation) hereby declare/certify that …….... (Name/Designation) is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/firm in dealing with Tender/NIB no……..... Date :……..…...

He/She is also authorized to attend meeting & submit technical & commercial information/Clarification as may be required by you in the course of processing the BID for the purpose of validation his/her verified signatures are as under.

Thanking you,
Verified

Signature

Name of the Bidder:

Authorized Signatory:

Seal of the Organization

Place :

Date :

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

1. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
2. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
3. Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti- competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
4. Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process:
5. Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:
6. Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
7. Disclose conflict of interest, if any: and
8. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

1. Have controlling partners/shareholders in common; or
2. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them ; or
3. Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
4. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process: or
5. The Bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid in result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limits the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
6. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
7. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date
Place

Signature and seal of Bidder

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to our Bid submitted to the District and Session Court, Baran for supplying office furniture etc. in response to their Notice Inviting Bids NoDated..... we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that

- I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government of the State Government or any authority, as specified in the Bidding Document.
- I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- I/We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date
Place

Signature & Seal of Bidder
Name
Designation
Address

Appendix C: <u>Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)</u>

The designation and address of the first Appellate Authority is **"Special Judge, SC/ST Court, Baran Rajasthan"**
The designation and address of the Second Appellate Authority is **"District and Session Judge, Baran."**

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the bidding document, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:
Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: providing further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (a) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within a period of 30 days of the date filling of the appeal.

(3) If the officer designated under para (a) fails to dispose of the appeal within the period specified in para (B) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the specified in para (b) or date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not be lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- Determination of need of procurement;
- Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;
- The decision of whether or not to enter into negotiations;
- Cancellation of a procurement process;
- Applicability of the provision of confidentiality.

Signature and seal of Bidder

(5) From and procedure of filing an appeal

a. An appeal under para (1) or (3) shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents the appeal.

b. Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

c. Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

a. Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

b. The fee shall be paid in the form of bank, demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeals

a.The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

b. On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(a) hear all the parties to appeal present before him; and
(b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c. After hearing the parties, peruse or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d. The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Date
Place

Signature & Seal of Bidder
Name
Designation
Address

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No……..of……..
Before the …….. (First/Second Appellate Authority)

- Particulars of appellant;
 (I) Name of the appellant:
 (ii) Official address, if any:
 (iii) Residential address:

- Name and address of the respondent(s);

 (I)
 (ii)
 (iii)
- Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order(enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;

- If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
- Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
- Grounds of appeal:
 (Supported by an
 affidavit)

- Prayer……

Place……

Date……

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1.Correction of arithmetical errors

provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

(i) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obivious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

(ii) If there any error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to 1 and 2 above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed,

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of good, work or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than quantity specified int the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Condition of contract.

(iii) In case of procurement of good or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rate and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the suppler.

3.Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is vary large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rate of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature and seal of Bidder

Annexure- E

ब्लैक लिस्ट/अयोग्य न होने तथा अन्य सक्षमताएं पूरी करने का प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते है कि :–

1. हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा आपूर्ति को संतोषप्रद रूप से पूर्ण नहीं करने के लिए कोई शास्ति आरोपित नही की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।

2. यह कि इस बोली हेतु हमारी फर्म आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजो द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करती है।

3. यह कि हमारी फर्म द्वारा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को सदेय समस्त करो का भुगतान किया जा चुका है और कोई भी कर बकाया नहीं है।

4. यह कि हमारी फर्म दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हैं, न ही किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखती हैं न ही फर्म का कार्यकलाप निलंबित है और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिये भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन है।

5. यह कि हमारे वृतिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती 3 वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिये अपनी अहर्ताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के सम्बंध में हमारी फर्म अथवा फर्म के निदेशक और अधिकारी दोषसिद्ध नहीं हुए है ना ही विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

Annexure -G **SR-11**

निविदादाता द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/सामानो/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मै/हम वास्तविक व्यापार कर्ता/अधिकृत थोक विक्रेता/उत्पादनकर्ता हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

Annexure -H

क्रय की जाने वाली सामग्रियों का विवरण मय स्पेसिफिकेशन

फर्नीचर आईटम कम संख्या (अनुमानित राशि 3.24 लाख रूपए)

S. No.	Name of Item	Specification
1	डायस टेबल	
2	डायस (जज) चेयर टीक वुड	
3	डायस साइड टेबल	
4	कोर्ट रूम टेबल	
5	स्टील रेक्स	
6	वेटिंग स्टील चेयर (Set of three each)	
7	डबल लॉक	
8	स्टूल	
9	विजिटर चेयर (Court Room)	
10	अलमारी	
11	बेन्च	
12	सोफा सेट 3+2	
13	सेन्टर टेबल	
14	एक्जीक्यूटिव रिवॉल्विंग चेयर (अवकाशागार हेतु)	
15	एक्जीक्यूटिव चेम्बर टेबल मय 2 साइड टेबल.....	
16	विजिटर चेयर (Chamber)	
17	बुक रेक्स ग्लास के साथ	
18	ऑफिस टेबल	
19	ऑफिस चेयर	
20	कम्प्यूटर टेबल	
21	कूलर	
22	वॉल फेन	

कार्यालयः (कय समिति) जिला एवं सेशन न्यायालय बारां

नवीन फर्नीचर आईटम आपूर्ति हेतु निविदा

(वित्तीय) निविदा प्रपत्र

1 निविदा सूचना संख्या दिनांक.....

2 निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता (मय टेलीफोन नम्बर) :

.....

.....

.....

3 ऑफिस फर्नीचर आईटम/सामग्री हेतु आइटम वाइज दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है–

क.सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	विवरण	निविदा दर (करों सहित)		वि.वि.(वजन/मैक अंकित करें)
				अंकों में	शब्दों में	
A	**फर्नीचर आईटम कम संख्या 1 से 22 तक (अनुमानित राशि 3.24 लाख रूपए)**					
1.	डायस टेबल	01	Size 5'X31/2X21/2 H' made of teak wood framed top 12mm ply board with 1 mm Mica including teak wood bidding, legs Size 3"X3" with polish complete and with foot rest.			
2.	डायस (जज) चेयर टीक वुड	01	Made of teak wood framed with arm seat 20"X20" & Back with 54" with foam 40" density, **Ashok Stambh** and good quality teak plished.			
3.	डायस साइड टेबल	02	Size$3_{1/2}$X$2_{1/2}$X$2_{1/2}$H with wooden drawer.			
4.	कोर्ट रूम टेबल	02	Size 6'X$2_{1/2}$'X$2_{1/2}$ H Court Room Wooden Table top with plywood with Proper legs support with pedestal Unit.			
5.	स्टील रेक्स	04	Size 78"X36"X16" D with Min. 6 Shelves made of 20/22 gauze M.S. sheet with angle 14 gauze.			
6.	वेटिंग स्टील चेयर (Set of three each)	03	Number of sheets- 3 in each with mild steel and arm rests and back rest. Dimension and tolerance :- 1. Length 1650mm. 2. Height 750mm 3. Floor to Sheet height :- 400mm 4. Miniumum depth of the Sheet : 450mm 5. Minimum width of the Sheet : 485mm 6. thickness of chair mainframe and seat & armrest & backrest- 1.0-1.5mm. 7. Chair mainframe (base/legs-MS ERW TUBE) 8. Finish of support for chair mainframe (base/legs)- powder coated (50 microns). 9. Chair mainframe color (base/legs)- silver. 10. Color family of chair seat-silver grey.			

7.	डबल लॉक	01	As par standard specification.			
8.	स्टूल	04	Size 1'X1'XH 11/2 Four legs, made of square 1"x1" pile in 18 gauze & laminated top size 1'X1' thickness 188 mm & pipe frame painted.			
9.	विजिटर चेयर (Court Room)	18	Office Chair with steel pipe framed having letherite seat and back with good quality foam.			
10.	अलमारी	08	Size 1980X910X480mm with 4 Shelve having central Locking arrangement system including redoxide primer and powder painting, M.S. Sheet 20 gauze door & rest body 22 gauge. (Approx weight 64 Kg)			
11.	बेन्च	04	Size 5'X15"X18" with M.S. Top having 1" square-18 gauze pipe framed including powder painting.			
12.	सोफा सेट 3+2	01	Teak wood framed Sofa set in three piece+ once piece + one piece (Total 5 seater) with cushion seat back with superior quality & P.U. foam 50 density or better with Complete in all respect.			
13.	सेन्टर टेबल	01	Size 4'X2'H11/2 made of teak wood framed with glass or marble top.			
14.	एक्जीक्यूटिव रिवॉल्विंग चेयर (अवकाशागार हेतु)	01	Executive Revolving chair 360^{O} Revolving type, five revolving wheels base with P.U. arms, seat size 20"X20" High Back 20"X30" foam seat 40 density and back foam 32 density Iron base with good quality pipe with crome polished and hydrolic lifting system in standard.			
15.	एक्जीक्यूटिव चेम्बर टेबल मय 2 साइड टेबल	01	Superior quality executive wooden table, three side covered by 18mm, laminated board, one side cabinet with door and locking system and one side Extra Rack/attachment with good locking arrangement with good locking arrangement system. Top will be 18 mm thick having 0.8mm mica.			
16.	विजिटर चेयर (Chamber)	06	Visitor Chair arm, seat & back cushion having black ragzine with 40 density foam, Frame will be M.S. pipe with crome finished			
17.	बुक रेक्स ग्लास के साथ	04	Size 66"X33"X13" made of M.S. Sheet 20/22 gauze, 4 compartment, each shelves having shutter with 4 mm glass & good quality locking system including redoxide primer & powder coating painting.			
18.	ऑफिस टेबल	08	Size 4'X21/2XH21/2 Office table with 17mm plyboard with mica top size 4'X30' having teak wood bidding and height 30" and three size covered wih laminated board, one side one drawer with keyboard with smooth locking arrangement system.			

19.	ऑफिस चेयर	10	Office chair with steel pipe framed having letherite seat & back with good quality foam.			
20.	कम्प्यूटर टेबल	03	Size 31/2X2'X21/2 with plyboard with mica top 17 mm board, sliding keyboard space side 21" with one drawer & cabinet with shutter & CPU board covered front side with 17 mm laminated board.			
21.	कूलर	04	Desert Cooler with single PAD, Body type medium size have 20 Gauge GI Sheet, water tank 18 Gauge submersible type pump, fan type Exhaust with Copper winding, cooling media honeycomb pad, colar powder coating on body and tank with warranty Minimum 1 year.			
22.	वॉल फेन	02	Wall Fan for Home \| 100% Copper Motor with COP-TER Technology \| 90 Degree Oscillation & Tilt Mechanism \| 3 Speed Pull Cord \| Military Grade Guard			

मैं/हम जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना संख्या 01 वर्ष 2026–27 में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण–पत्र पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं)

अध्यक्ष (क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–01, जिला बारां, राज.

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील